संख्या-16/1722/26-3-2013-10(28)/99-टी0सी0-1

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ - दिनांक 11 नवम्बर, 2013

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-80 में आयोजनेत्तर पक्ष की योजना-0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 904/स0क0/वृ0पें0यो0/कि0पे0यो0/बजट/2013-14, दिनांक 10-10-2013 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या 384(4)/26-3-2013-10(28)/99, दिनांक 09-04-2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत उक्त योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 113.5919 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 56.796 करोड़(रूपये छप्पन करोड़ उन्यासी लाख साठ हजार मात्र) अवमुक्त/स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-

http://shasanadesh.up.nic.in

2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2) अनुदान एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये। गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में एवं चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा न की जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) पूर्व वर्षों में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2013-14 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन-0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1671(1)/26-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6- सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in